संजय गोस्वामी

जल संकट में बहुत प्रभावशाली होगी अमृत सरोवर योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में जल की समस्या के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने अमृत सरोवर योजना प्रारम्भ की है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। इस देशव्यापी योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले में 75 से अधिक तालाबों का निर्माण करना था। अमृत सरोवर योजना से राज्यों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। तालाबों का निर्माण होने तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार होने से क्षेत्रीय लोगों की जल की समस्या का समाधान हो सकेगा। इससे गर्मी के समय भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। इन तालाबों के जल का उपयोग कृषि कार्यो एवं पशुपालन में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त आवारा पशुओं एवं पक्षियों को भी पीने के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा।

मनुष्य ने पृथ्वी को कुछ नहीं दिया, अपितु उसे दूषित करने का कार्य किया है। वायु प्रदूषित होकर विषैली हो गई है और जल भी दूषित हो रहा है। स्थिति इतनी भयंकर है कि यमुना सहित अनेक नदियों का जल पीने योग्य नहीं है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के एक अध्ययन के अनुसार 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 221 जिलों के कुछ स्थानों का जल आर्सेनिक युक्त पाया गया है। दूषित पेयजल के सेवन से जनमानस के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे क्षेत्रों के लोग दूषित जलजनित रोगों की चपेट में आ जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भूजल संकट के कारण देश के लगभग 50% ग्रामीण परिवारों को आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वे प्रदूषित जल पीने को विवश हैं। देश में लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है। देश में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 1,700 घन मीटर से कम है। उपग्रह से लिए गए आंकड़ों के आधार पर देश में जल की उपलब्धता के पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर आशंका व्यक्त की गई है कि वर्ष 2031 तक प्रति व्यक्ति जल की औसत वार्षिक उपलब्धता घटकर 1,367 घन मीटर रह जाएगी, जिससे जल संकट और गंभीर हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वैश्विक जल स्रोत की 4% मात्रा ही उपलब्ध है, जबकि यहां विश्व की कुल वैश्विक जनसंख्या का 18% भाग निवास करता है। जिस तरह वायु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसी तरह जल भी जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। चिंता का विषय है कि आज वायु और जल दोनों बुरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखे का हमारे पेय जल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पेयजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, सीसा, सल्फर इत्यादि जैसे विषैले रसायन घुले हो सकते हैं। कभी-कभी बाढ़ आने के कारण, फसलों के लिए उपयोग किये गये कीटनाशक रसायन, खेतों से बहकर नदियों और नालों में मिल जाते हैं जिससे पेयजल प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण मुक्त पेय जल की उपलब्धता हमारे सामने प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी हो जाती है तथा इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। पूरे दिन वायु के अतिरिक्त मनुष्य यदि सबसे अधिक किसी चीज का उपयोग करता है तो वह है जल। शुद्ध पेय जल से मनुष्य स्वस्थ तो रहता ही है, इससे सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गरिमा भी बरकरार रहती है। स्वस्थ व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है। मान लिया जाए कि यदि कोई किसान स्वस्थ नहीं है तो हम कैसे उससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि की आशा कर सकते हैं? कहने का तात्पर्य है कि अशुद्ध जल पीने से आदमी बीमार रहने लगता है और उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। किसी परिवार में अस्वस्थ व्यक्ति के कारण घर की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। आर्थिक क्षीणता तो आती ही है, इससे परिवार का विकास

भी बाधित हो जाता है। पेय जल हमें तीन स्त्रोतों से प्राप्त होता है-भूमिगत जल से, रुके हुए जल से और बहते हुए जल से।

भूमिगत जल : भूमिगत जल के उपयोग का दूसरा माध्यम तालाब है। बहुत से गाँवों में पहले से ही तालाब पाये जाते हैं। नये-नये तालाबों की खुदाई भी होती रहती है। तालाब नया हो या पुराना, उसको साफ रखना बहुत आवश्यक है। तालाबों के किनारे प्रायः पेड़ लगाने की परम्परा है। यह बहुत अच्छी परम्परा है तथा इसका हमेशा पालन होना चाहिए। तालाब के किनारे पेड़ लगाते समय पूरब या पश्चिम दिशा खुली छोड़ देनी चाहिए ताकि तालाब के जल को धूप मिल सके। इसके बाद, तालाब का घेरान कर देना चाहिए। घेरान से बाहरी कचरा हवा के साथ उड़कर तालाब के अंदर नहीं आता है साथ ही अचानक दौड़ कर आने वाले जानवरों या आदमी के लिए भी यह खतरनाक साबित होने से बच जाता है। कुएँ या तालाब के जल के शुद्धिकरण के लिए उसमें मत्स्यपालन आवश्यक है। मछलियाँ जल के दृश्य और अदृश्य कीड़ों को खाकर जल को कीटमुक्त कर देती हैं। नलकूप भूमिगत जल के उपयोग के लिए सर्वाधिक सुलभ और सामान्य साधन है। नलकूप का जल अत्यधिक सुरक्षित और शुद्ध होता है। नलकूप प्रतिष्ठापित करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। नलकूप के निकट शौचालय की टंकी नहीं होनी चाहिए। उसके नजदीक से होकर गंदा जल नहीं बहना चाहिए। नलकूप से सेप्टिक टैंक की दूरी कम से कम 12 फीट होनी चाहिए। अगर नलकूप के आसपास गंदे जल की नाली बहती हो तो उसकी दिशा दूसरी ओर परिवर्तित कर देनी चाहिए ताकि प्रदूषित जल रिसकर नलकूप के जलस्त्रोत के पास नहीं जा पाये। भूमिगत जल के उपयोग के लिए बोरिंग की भी व्यवस्था की जाती है। यह नलकूप की तरह ही है, लेकिन यंत्रचालित व्यवस्था है। इसमें जल के निष्कासन का कार्य हाथ से नहीं करके मोटर से किया जाता है। इसके माध्यम से कम समय में अधिक जल का निष्कासन हो जाता है। नलकूप की तरह ही, बोरिंग के आसपास भी शौचालय का सेप्टिक टैंक अथवा प्रदूषित जल की नाली का बहाव नहीं होना चाहिए। भूमिगत जल-स्रोत के लिए कुँआ एक सर्वव्यापी साधन है। कुँओं में सिर्फ भूमिगत जल का ही उपयोग होता है, इसलिए इसे शुद्ध जल के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्षा ऋतु के दिनों में वर्षाजल कुएँ के जल को अशुद्ध कर देता है। इसलिए कुएँ का घेरान भूमि तल से 2-3 फीट ऊपर रखना बहुत आवश्यक है। इससे कुँआ सुरक्षित हो जाता है। बिना घेरान वाले कुंए में जानवरों आदि के गिरने की संभावना बनी रहती है। कई बार बकरी, गाय या अन्य पशु चरते-चरते कुंए में गिर जाते हैं तब बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। पशुओं को गिरते हुए तुरंत देख लेने पर तो उसे निकाल लिया जाता है। यदि गिरते समय उसे नहीं देखा गया तो कुँए के जल का उपयोग करने के समय पता चल पाता है कि उसमें जानवर गिरा हुआ है। देर होने पर जानवर मर जाता है और कुँए का जल अशुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुँए का सारा जल बाहर निकाल कर उसे साफ करना पड़ता है जो कि बहुत ही मेहनत और परेशानी का कार्य है। इस कुँए से लोगों को कुछ दिनों तक पीने का पानी मिल नहीं पाता है। इसलिए कुंआ गाँव की बस्ती में हो अथवा खेतों में, उसका घेरान करना बहुत आवश्यक है।

घरेलू कचरे से प्रदूषित जल

अशुद्ध जलः जल में अनेक तरह के जीवाणु पाये जाते हैं। यह सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है कि जल में पाये जाने जीवाणुओं में से 90% से अधिक जीवाणु हमारे लिए लाभकारी होते हैं। जल में कुछ ऐसे जीवाणु भी पाये जाते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को अपना भोजन बना कर हमें लाभ पहुँचाते हैं। कुछ जीवाणु हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हैजा, पीलिया, अस्थमा जैसी बीमारियों को फैलाने में इन हानिकारक जीवाणुओं का काफी योगदान रहता है। जल में दो प्रकार की अशुद्धियाँ पायी जाती हैं। एक, जो हमें खुली आँखों से दिखायी देती हैं जैसे कूड़ा-करकट, उद्योगों से निकला रंगीन रसायन, राख, लाशें, फूल-मालाएँ, जूठा भोजन, मल-मूत्र इत्यादि। दूसरे प्रकार की अशुद्धियाँ वे हैं जो सूक्ष्मदर्शी होती हैं और खुली आँखों से दिखायी नहीं देतीं। इनकी जानकारी रासायनिक विश्लेषणों से ही हो पाती है। वास्तव में ये अदृश्य अशुद्धियाँ ही स्वास्थ्य के लिए विशेष तौर पर हानिकारक होती हैं। स्वस्थ रहने के लिए इनसे बच कर रहना आवश्यक है। नदियों, तालाबों या अन्य जल-स्रोतों पर तरह-तरह के लोग आते हैं। वे जिस नदी का जल पीते हैं, उसी में नहाते हैं और कपड़ा एवं बर्तन भी धोते हैं। हद तो तब पार हो जाती है जब मल-मूत्र का त्याग भी उन्हीं नदियों या तालाबों के किनारे कर दिया जाता है। ये सारे मल-मूत्र बहकर बिना किसी उपचार के नदियों या तालाबों में चले जाते हैं।

प्रदूषण मुक्त पेय जल की उपलब्धता कई कारणों से एक कठिन समस्या है। जल चाहे नदी-नालों का हो या भूमिगत अथवा रुका हुआ, वह प्रदूषित हो सकता है। शुद्ध जल की उपलब्धता लगभग सभी स्थानों पर एक विकट समस्या बनी हुई है। इसके लिए आम जनमानस में जागरूकता पैदा करना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है कि वह जल-स्रोतों के पास गंदगी नहीं फैलाये और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने से रोके।

स्वाभाविक है कि ऐसे उत्सर्जनों से जल-स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। संक्रमित मानव द्वारा सौ प्रकार के वायरस उत्सर्जित किए जाते हैं। इनमें से अधिकतर वायरस वाले जल को बिना उपचार के उपयोग में लाने से स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाते हैं। नदियों-तालाबों में कपड़े धोने से जल में अपमार्जक घुल जाते हैं जो मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु जानवरों के लिए भी घातक होते हैं। कृषि-प्रधान क्षेत्र की नदियों के जल में खेत से बहकर आये उर्वरकों और कीटनाशकों की मात्रा उपलब्ध रहती है, जिससे जल पीने योग्य नहीं रह पाता। खेतों में प्रयुक्त कीटनाशक वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों एवं तालाबों में चले जाते हैं। पेय जल में ऐसे कीटनाशक रसायनों का पाया जाना स्वास्थ्य के लिए अति घातक है।

शुद्धता का अनुमानः जल-स्रोतों के आसपास की स्थिति देखकर भी उसकी शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है। स्वच्छ और उपयोगी जल की सामान्य पहचान उसके स्वच्छ होने के साथ-साथ स्वादिष्ट होना भी है। आमतौर पर जल में कई प्रकार की अशुद्धियाँ पायी जाती हैं, लेकिन जल की प्रत्येक अशुद्धि हानिकारक नहीं होती है। उसमें घुले हुए कई खनिज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। जल को पीने योग्य बनाने के जल उपचार संयत्रों (water treatment plant) में हानिकारक अशुद्धियों को दूर किया जाता है। पूर्ण रूप से दूर न हो सकने वाली अशुद्धियों को इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि वे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकें। सिर्फ हानिकारक अशुद्धियों की मौजूदगी ही जल को पीने के अयोग्य नहीं बनाती वरन् कुछ तत्वों की कमी से भी जल पीने योग्य नहीं रहता। फ्लोराइड की मात्रा जिस जल में प्रति लीटर एक मिलीग्राम से कम रहती है, उस जल को पीने से बच्चों के दाँत में सड़न (cavity) होने की आशंका बढ़ जाती है। जल में आयोडिन के अभाव से घेंघा (goiter) रोग हो जाता है। कैल्सियम, मैग्नीशियम आदि की भी थोड़ी मात्रा पीने योग्य जल में रहनी चाहिए। ठीक इसके विपरीत कुछ रासायनिक तत्व ऐसे हैं, जिनकी जल में उपलब्ध सूक्ष्म मात्रा भी जल को पीने योग्य नहीं रहने देती। इन तत्वों में आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, लेड, सिल्वर, कॉपर इत्यादि प्रमुख हैं। इन तत्वों की सूक्ष्म मात्रा में उपलब्धता से जल विषैला हो जाता है। ऐसी विषैली अशुद्धियाँ किसी विशेष स्थल पर ही पायी जाती हैं। ऐसे जल को उपचार करके ही पीना चाहिए।

प्रदूषण मुक्त पेय जल : प्रदूषण मुक्त पेय जल की उपलब्धता कई कारणों से एक कठिन समस्या है। जल चाहे नदी-नालों का हो या भूमिगत अथवा रुका हुआ, वह प्रदूषित हो सकता है। शुद्ध जल की उपलब्धता लगभग सभी स्थानों पर एक विकट समस्या बनी हुई है। इसके लिए आम जनमानस में जागरूकता पैदा करना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है कि वह जल-स्रोतों के पास गंदगी नहीं फैलाये और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने से रोके। यदि गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से रोक पाना संभव नहीं हो तो उन्हें सामूहिक रूप से मना किया जाये। खुले में शौच करने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिये, चाहे इसके लिए कुछ देर के लिए किसी को बुरा ही क्यों न लगे। जल-स्रोतों से कुछ दूर शौच द्वारा उत्पन्न मल भी बरसात के दिनों में बहकर जल में मिल जाता है। यह बहुत ही अप्रिय स्थिति है। बहुत समझाने पर भी लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं और खुले में शौच करना अपनी शान समझते हैं। ऐसे लोगों का गाँव में सामूहिक बहिष्कार कर देना चाहिए। इससे उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वे गलती दुहराने से बाज आयेंगे। स्वच्छ दिखने वाला जल शुद्ध हो-यह आवश्यक नहीं है। बहुत से जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जो नंगी आँखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं। सूक्ष्मग्राही यंत्रों से देखने पर पता चलता है कि स्वच्छ दिखने वाला जल वस्तुतः कितना प्रदूषित है।

वर्षा जल संचयन तकनीक

जल संकटः भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अध्ययनों के अनुसार कृषि उत्पादों में डी.डी.टी. की काफी मात्रा मौजूद होती है, जो पेय जल के माध्यम से शरीर में पहुँचता है। इन कीटनाशक रसायनों और अपमार्जकों के दुष्प्रभाव को इसी बात से आँका जा सकता है कि ऐसे जल में रहने वाली मछलियाँ तक मर जाती हैं। सर्वविदित है कि मछलियाँ एवं अनेक जलीय प्राणी प्रदूषण निवारक का कार्य करते हैं। इन जल-प्राणियों द्वारा जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं और अशुद्धियों का सफाया कर दिया जाता है। इसलिए नदियों और तालाबों में शुद्ध पेय जल के लिए मछलियों का होना अत्यावश्यक माना जाता है। पेड़ से गिरे पत्तों एवं अन्य वनस्पतियों को भी मछलियाँ चट कर जाती हैं। उद्योगों का जल से गहरा सम्बंध है। किसी भी प्रकार का उद्योग बिना जल के नहीं चल सकता है। इसलिए अधिकतर उद्योगों का निर्माण नदियों के किनारे किया जाता है। उद्योगों के कचरे को नदियों में बहा दिया जाता है। इससे उद्योगों का निकटवर्ती जल-स्रोत बुरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। यह दूसरी बात है कि बहुत सारे उद्योगों के अपशिष्ट नदियों में सीधे नहीं बहाये जाते हैं। नदियों में प्रवाहित करने से पूर्व अपशिष्टों को उपचारित किया जाता है। लेकिन अपशिष्ट के उपचार किए जाने के बावजूद, नदियाँ कमोबेश प्रदूषित तो हो ही जाती हैं। इसका सीधा प्रभाव पेय जल पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, हुगली नदी के किनारे कपड़ा, पटसन, कागज, शराब, चमड़ा आदि के सैकड़ों कारखाने बने हुए हैं। कानपुर में गंगा के किनारे चमड़ा उद्योगों की भरमार है। यह कहना सर्वथा उचित नहीं है कि सभी उद्योगों द्वारा नदियाँ प्रदूषित की जा रही हैं। मगर एक बात सर्वमान्य है कि उद्योगों से नदियों का जल एक सीमा तक प्रदूषित हो जाता है। गंगा इतने प्रमुख नगरों से होकर गुजरती है कि प्रदूषण का भार ढोते-ढोते वह काफी थक जाती है। बड़े-बड़े उद्योगों या प्रतिष्ठानों से निकले अपशिष्ट को कुछ

हद तक नियंत्रित कर लिया जाता है। केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में देश में उपलब्ध कुल जल स्रोतों में से 78% का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा था। जल संकट के कारण वर्ष 2050 तक यह दर घटकर लगभग 68% रह जाएगी। यह शुभ संकेत नहीं है। उल्लेखनीय है कि देश के लगभग 198 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग आधे भाग की सिंचाई के ही पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। इसमें से 63% क्षेत्र में भूमिगत जल से सिंचाई की जाती है, जबकि 24% क्षेत्र की सिंचाई के लिए नहरों के जल का उपयोग किया जाता है। इसमें 2% क्षेत्र की सिंचाई तालाब एवं कुंओं के जल से की जाती है तथा 11% क्षेत्र की सिंचाई के लिए अन्य स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय किसान आज भी सिंचाई के लिए भूमिगत जल पर निर्भर हैं। इसलिए भूजल का अत्यधिक दोहन किया जाता है। जिससे भूमिगत जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। जल प्राणियों के जीवन का आधार है। जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। भूजल स्तर में गिरावट के कारण अनेक क्षेत्रों में जल संकट व्याप्त हो गया है। इससे निपटने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। भीषण गर्मी के समय देश के प्रायः समस्त क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तालाब भी शुष्क हो जाते हैं। कुंओं का जल बहुत नीचे चला जाता है अथवा वे सूख भी जाते हैं। इसके कारण ग्रामीणों को उपयोग के लिए पर्याप्त जल प्राप्त नहीं होता है।

जल संरक्षण : जल संरक्षण हमें लंबे समय तक उपयोग के लिए अधिक मात्रा में जल की आपूर्ति करने में मदद करता है। यह सभी क्षेत्रों में आवश्यक हो गया है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और उनके उपयोग के साथ-साथ ये प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं।

जल संरक्षण की तकनीकें : यहाँ जल संरक्षण की कुछ महत्त्वपूर्ण और सरल तकनीकें दी गई हैं:-

- उपयोग में न होने पर नल बंद रखें।
- जल वितरण पाइपों में खुलेपन या रिसाव की जाँच करें।
- एकत्रित वर्षा जल का उपयोग बागवानी या कपड़े धोने के उद्देश्य से करना सुनिश्चित करें।
- एक दिन में कितनी बाल्टी पानी बर्बाद होता है इसका हमेशा आंकलन रखें और इसे कम करने का प्रयास करें।
- कपड़े, बर्तन आदि धोते और साफ करते समय आवश्यकता से अधिक पानी न बहाएँ।
- स्नान में अधिक जल का उपयोग न करें। जल को व्यर्थ बर्बाद करने के बजाय कम जल में स्नान करें।
- वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम विधियों में से एक है। वर्षा जल को बर्बाद करने के बजाय संरक्षित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

अमृत सरोवर योजनाः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की समस्या के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने अमृत सरोवर योजना प्रारम्भ की है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। इस देशव्यापी योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले में 75 से अधिक तालाबों का निर्माण करना था। अमृत सरोवर योजना से राज्यों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। तालाबों का निर्माण होने तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार होने से क्षेत्रीय लोगों की जल की समस्या का समाधान हो सकेगा। इससे गर्मी के समय भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। इन तालाबों के जल का उपयोग कृषि कार्यों एवं पशु पालन में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त आवारा पशुओं एवं पक्षियों को भी पीने के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत तालाबों का निर्माण होने से उस स्थान का सौंदर्यीकरण होगा। तालाबों के तट पर पीपल, बरगद, नीम, अशोक, सहजन, महुआ, जामुन एवं कटहल आदि के पौधे लगाए जाएंगे। इससे जहां पर्यावरण स्वच्छ होगा तथा हरियाली में वृद्धि होगी, वहीं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। इन तालाबों का उपयोग मत्स्य पालन, मखाने एवं सिंघाड़े की खेती में भी किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार से अधिक तालाबों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक तालाब एक एकड़ क्षेत्र में होगा, जिसमें 10 हजार घन मीटर जल धारण करने की क्षमता होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इसमें वर्ष भर जल भरा रहे। इस अमृत सरोवर योजना के

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अध्ययनों के अनुसार कृषि उत्पादों में डी.डी.टी. की काफी मात्रा मौजूद होती है, जो पेय जल के माध्यम से शरीर में पहुँचती है। इन कीटनाशक रसायनों और अपमार्जकों के दुष्प्रभाव को इसी बात से आँका जा सकता है कि ऐसे जल में रहने वाली मछलियाँ तक मर जाती हैं। सर्वविदित है कि मछलियाँ एवं अनेक जलीय प्राणी प्रदूषण निवारक का कार्य करते हैं। इन जल-प्राणियों द्वारा जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं और अशुद्धियों का सफाया कर दिया जाता है। इसलिए नदियों और तालाबों में शुद्ध पेय जल के लिए मछलियों का होना अत्यावश्यक माना जाता है।

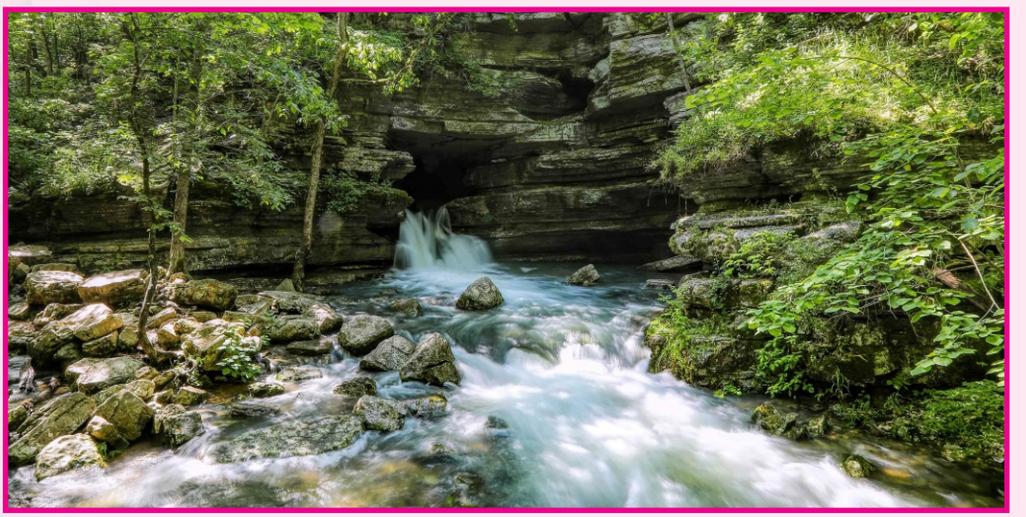

प्रदूषण मुक्त शुद्ध जल

माध्यम से ग्रामीण जनता को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इससे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा। विगत दिनों देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत विगत 11 माह में लगभग 40 हजार तालाबों को विकसित करने की उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि "बहुत-बहुत बधाईं! जिस तेजी से देशभर में अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है वो अमृतकाल के हमारे संकल्पों में नई ऊर्जा भरने वाली है।" पूर्व में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि देश में अभी तक 40 हजार से अधिक अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं। उनके अनुसार 15 अगस्त 2023 तक 50 हजार अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अमृत सरोवर योजना (Amrit Sarovar Yojana) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण करना है। इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) का विकास या पुनरुद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिससे मार्च 2025 तक पूरे देश में लगभग 50,000 अमृत सरोवर विकसित हो सकें। वर्तमान में पूरे भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जो 50,000 के प्रारंभिक लक्ष्य से अधिक है। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे सतत जल संसाधन की उपलब्धता बढ़ गयी है। सतही और भूजल उपलब्धता को जल के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत 46,000 से अधिक सरोवरों का निर्माण व पुनरुद्धार किया गया। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य देश भर के प्रत्येक ग्रामीण जिले में तालाबों के निर्माण और पुनरुद्धार को सुगम बनाना है। इस मिशन के लिए तकनीकी साझेदार के रूप में भास्कर आचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) को नियुक्त किया गया। बीआईएसएजी-एन द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग जिलों में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति/प्रदर्शन पर दृष्टि रखने के लिए किया जाता है। सरोवर न केवल एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, समानता और करुणा जैसे मूल्यों का प्रतीक भी हैं।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्वभर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के पर्यावरणविद जेराल्ड नेल्सन ने 22 अप्रैल 1970 को इसका शुभारम्भ किया था। वह विस्कॉन्सिन के एक अमेरिकी राजनेता थे। उन्होंने संयुक्त राज्य के सीनेटर और गवर्नर के रूप में कार्य किया। वह पृथ्वी दिवस के संस्थापक थे। उन्होंने पर्यावरण सक्रियता के एक नये अभियान को प्रारम्भ किया था। वर्ष 1969 में सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन के दौरान 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके पश्चात से यह दिवस निरंतर मनाया जा रहा है। अब इसे विश्व के 192 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पृथ्वी के समक्ष उत्पन्न समस्याओं को उठाया जाता है तथा इनके समाधान के बारे में चर्चा होती है। आज जब पर्यावरण के समक्ष अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए हैं, ऐसी स्थिति में इसका महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। उल्लेखनीय है कि देशभर में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सरकारी स्तर के कार्यक्रमों के साथ-2 पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। निःसंदेह केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना जल संरक्षण के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त कर रही है। इससे जल संरक्षण के अभियान को प्रोत्साहन भी मिलेगा। अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में स्थित सरोवर एक पवित्र जल कुंड है जो न केवल सिखों के लिए अत्यधिक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि इस पवित्र जल की संकल्पना सबके लिए जल उपलब्धता, सामुदायिक भागीदारी, निस्वार्थ सेवा, समानता को मजबूत करने के लिए की गई है। अमृत सरोवर का उद्देश्य जल की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना तथा दीर्घकालिक सतत जल स्रोतों को स्थापित करना है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कल्याण दोनों में योगदान मिल सके। भारत में जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़ती जल की मांग को पूर्ण करने के लिए अमृत सरोवर योजना भारत के ग्रामीणों एवं शहरी व्यक्तियों के लिए एक सर्वोत्तम जल प्रणाली है।

भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत निर्मित एक अमृत सरोवर

संपर्क करें:

संजय गोस्वामी

यमुना जी -13, अणुशक्तिनगर,

मुंबई-94